भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-110

उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

पीएम पोषण के तहत खाद्यान्नों का उपयोग

110 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीएम पोषण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के समय पर उपयोग के संबंध में स्कूलों द्वारा रिपोर्ट देने हेतु कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत एक जिले से अधिशेष खाद्यान्न को दूसरे जिले में पुनः आवंटित करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान है; और

(ग) क्या मंत्रालय 2024-25 के दौरान पीएम पोषण के लिए खाद्यान्नों के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा प्रदान कर सकता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा 'पीएम पोषण के तहत खाद्यान्नों का उपयोग' के संबंध में दिनांक 30.07.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) में और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र ज़िम्मेदारी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रधानमंत्री पोषण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, फिर भी केंद्र सरकार खाद्यान्न की लागत, परिवहन लागत और प्रबंधन निगरानी एवं मूल्यांकन (एमएमई) की लागत के लिए 100% सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना के लिए 12,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और साझाकरण पैटर्न के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 7,500 करोड़ रुपये है, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों के मानदेय और पूरक पोषण मदों के लिए अतिरिक्त निधियां शामिल है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन 24.15 लाख मीट्रिक टन है, जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के लिए कुल आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा किए गए 21,500 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन शामिल हैं।

योजना के तहत यथा अधिदेशित, खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रदान किया जाता है। खाद्यान्न/पुष्टिकृत खाद्यान्न का आवंटन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सहमति से छमाही रूप से किया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत खाद्यान्न का राज्य-वार आवंटन **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा यथा अनुमोदित खाद्यान्नों का आवंटन राज्य नोडल विभाग और एफसीआई को किया जाता है। खाद्यान्नों के शीघ्र उठाव और एफसीआई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में जिला प्राधिकारियों की अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी और भूमिका सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने में समय कम हो गया है। एफसीआई की जिम्मेदारी है कि वह अपने डिपो में (और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में प्रमुख वितरण केंद्रों में) पर्याप्त खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करे। यह किसी भी महीने/तिमाही के लिए एक महीने पहले तक खाद्यान्न उठाने की अनुमति देता है ताकि खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला निर्बाध बनी रहे। एफसीआई सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न जारी करता है, जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का है। एफसीआई ने इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक राज्य हेतु एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एफसीआई द्वारा एफसीआई और कलेक्टर एवं/या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति की एक टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद,कम से कम एफएक्यू स्तर का खाद्यान्न जारी किया जाए, और उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू स्तर के मानदंडों के अनुरूप है। एफसीआई अपने द्वारा आपूर्ति

किए गए ऐसे खाद्यान्नों के नमूने भविष्य में सत्यापन और विश्लेषण के लिए रखता है; आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में यह उपलब्ध रहेगा।

पीएम पोषण दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि जहाँ भी उपयुक्त हो, राज्यव्यापी अधिकार क्षेत्र और नेटवर्क वाली एक सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसी, जैसे राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, को राज्य नोडल परिवहन एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है। यह एजेंसी एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाकर तालुका/ब्लॉक स्तर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की भी पुख्ता व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है कि खाद्यान्न ज़िला/ब्लॉक स्तर से प्रत्येक स्कूल आदि तक समय पर पहुँचे। वैकल्पिक रूप से, ज़िला/ब्लॉक पंचायतों को राज्य के विभिन्न ज़िलों/ब्लॉकों या ज़िलों/ब्लॉकों के समूहों की ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ज़िला और ब्लॉक स्तर पर एक नोडल अधिकारी या एजेंसी (जैसे ज़िला कलेक्टर, ज़िला/मध्यवर्ती पंचायत, आदि) नियुक्त करेगा, जिसे ज़िला/ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की समग्र ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। ज़िला नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक स्कूल को उसके मासिक खाद्यान्न आवंटन और वित्तीय स्वीकृतियों की जानकारी मिले। यह निकटतम एफसीआई गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न पहुँचाने के लिए परिवहन एजेंसी की भी पहचान करता है। यह परिवहन महीने में एक बार किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए डेटा संग्रह की एक स्वचालित प्रणाली स्थापित की है। इस तरह के डेटा (उस विशेष दिन परोसे गए भोजन की संख्या और भोजन न परोसे जाने के कारण) को स्कूल के हेडमास्टर/शिक्षक पर कोई खर्चे के बिना स्कूलों से एकत्र किया जा रहा है। स्वचालित निगरानी प्रणाली के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दैनिक आधार पर स्कूलों से डेटा संग्रह (यानी इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)/एसएमएस/मोबाइल एप्लिकेशन/वेब एप्लिकेशन) की एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की है और इसका उपयोग निगरानी और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से किया जा रहा है। एकत्र किए गए डेटा के आधार पर, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर इस योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए विभिन्न ड्रिल डाउन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। डैशबोर्ड पर उपलब्ध महत्वपूर्ण मापदंडों संबंधी डेटा का उपयोग निगरानी के उद्देश्यों से किया जाता है।

राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन व्यापक वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों की कवरेज, कार्य दिवस और स्कूलों; स्कूलों में नामांकन; खाद्यान्न का उपयोग, खाना पकाने की लागत का उपयोग, परिवहन सहायता, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई), रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान, रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई उपकरणों की खरीद आदि पर विस्तृत जिला-वार महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैठक करता है।

यदि छात्र नामांकन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की मंजूरी से अधिक हो जाता है तो इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निधियों और खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) - पीएम पोषण योजना द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर संसाधनों की मात्रा का निर्धारण योजना के तहत केवल उस विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय सहायता जारी करने और खाद्यान्न आवंटन के लिए एक अनुमान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, **2013,** नियम, समय-समय पर पीएम पोषण योजना के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों और अनुदेशों में प्रावधान हैं कि एक पात्र संस्थान में जाने वाले प्रत्येक बच्चे को योजना के तहत कवर किया

जाना है और स्कूल के सभी दिनों में जैसा भी लागू हो, उन्हें गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा या खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यह देखा जाता है कि बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि, स्कूल के कार्य दिवसों में वृद्धि या किसी अन्य कारण से योजना को लागू करने के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता है, तो वे उस वर्ष के दौरान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और खाद्यान्नों की मांग करने के औचित्य के साथ भारत सरकार के पास आ सकते है।

अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना एफसीआई की ज़िम्मेदारी है। एफसीआई को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जो किसी भी स्थिति में इसके डिपो में उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) से कम नहीं हो। एक से दूसरे जिले तक खाद्यान्न स्थानांतरित करने के मामलों की सूचना नहीं दी गयी है। एफसीआई को निर्धारित मात्रा में और गुणवत्ता के खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से 25.31 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है।

पीएम पोषण योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर के 32,664 स्कूलों में सामाजिक लेखा-परीक्षा की हैं। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से 9.78 लाख स्कूलों में निरीक्षण किए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर में 25,389 भोजन परीक्षण किए हैं। इस योजना में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, तिथि भोजन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें समुदाय के सदस्यों को विशेष अवसरों जैसे त्योहारों, वर्षगाँठों, जन्मदिनों, विवाहों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों आदि पर स्कूली बच्चों को पूर्ण भोजन/अतिरिक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुल मिलाकर, देश भर में 5.77 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 6.43 करोड़ छात्र तिथि भोजन के तहत लाभान्वित हुए। प्रकृति, बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव देने और छात्रों में सही खाने की आदत डालने के लिए स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) स्थापित किए गए हैं और इस योजना के तहत वित्तपोषित किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 6.28 लाख से अधिक स्कूलों ने इस योजना के अंतर्गत एसएनजी स्थापित कर लिए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा 'पीएम पोषण के तहत खाद्यान्नों का उपयोग' के संबंध में दिनांक 30.07.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

2024-25 के दौरान आवंटित खाद्यान्न

(मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25 के दौरान आवंटित खाद्यान्न		
		गेहूं	चावल	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0.00	66450.35	66450.35
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	3948.95	3948.95
3	असम	0.00	103343.73	103343.73
4	बिहार	0.00	324227.06	324227.06
5	छत्तीसगढ	0.00	73138.41	73138.41
6	गोवा	2261.42	2261.42	4522.84
7	गुजरात	60740.22	60740.23	121480.45
8	हरियाणा	18633.99	22774.87	41408.86
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	14059.43	14059.43
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	22476.70	22476.70
11	झारखंड	0.00	84970.08	84970.08
12	कर्नाटक	21841.73	110874.47	132716.20
13	केरल	0.00	67147.28	67147.28
14	मध्य प्रदेश	82209.04	43762.53	125971.57
15	महाराष्ट्र	0.00	260330.25	260330.25
16	मणिपुर	0.00	4809.25	4809.25
17	मेघालय	0.00	14661.30	14661.30
18	मिजोरम	0.00	3310.63	3310.63
19	नगालैंड	0.00	3119.31	3119.31
20	ओडिशा	0.00	120222.88	120222.88
21	पंजाब	23022.89	23022.89	46045.78
22	राजस्थान	92798.23	46392.16	139190.39
23	सिक्किम	0.00	1120.69	1120.69
24	तमिलनाडु	0.00	95341.63	95341.63
25	तेलंगाना	0.00	35476.39	35476.39
26	त्रिपुरा	0.00	8198.79	8198.79
27	उत्तराखंड	353.56	16162.17	16515.73
28	उत्तर प्रदेश	102000.98	207092.90	309093.88
29	पश्चिम बंगाल	0.00	246130.60	246130.60
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	658.79	658.79
31	चंडीगढ़	206.63	1659.72	1866.35
32	दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	0.00	1697.18	1697.18
33	दिल्ली	17838.60	17838.60	35677.20
34	लद्दाख	0.00	422.54	422.54
35	लक्षद्वीप	0.00	227.84	227.84
36	पुद्दुचेरी	0.00	1287.10	1287.10
	कुल	421907.29	2109359.11	2531266.40